न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3857–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–08–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला हरदा के प्रकरण कमांक 20/अ–6/2011–12

.....

श्रीमती कुसुम बाई विधवा प्रभाकरराव गर्दे (मृत वारिसान :–)
हरिभाउ आ0 प्रभाकर राव गर्दे
निवासी टिमरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–निर्भयसिंह आ0 रामनारायण राजपूत
2–लताबाई पत्नि लक्ष्मीनारायण राजपूत
निवासीग्राम टिमरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा
3–हरेसिंह आ0 रामनारायण राजपूत
4–श्रीमती कमलाबाई पत्नि अजबसिंह राजपूत
5–गोलू आ0 अजबसिंह राजपूत
6–नरसिंह आ0 अजबसिंह राजपूत
सभी निवासी ग्राम बारजा तहसील टिमरनी
जिला हरदा

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिलीप मिश्रा, अभिभाषक–आवेदक
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–08–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के पूर्वज स्व0कुसुमबाई द्वारा नामान्तरण पंजी वर्ष 1994–95 में संशोधन कमांक 26 व 27 पर पारित आदेश दिनांक 6.6.1994 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 4/अपील/2011–12 दर्ज कर दिनांक 29–2–2012 को अंतरिम आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला हरदा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर जिला हरदा द्वारा दिनांक 22–8–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपनायी गई प्रकिया दोषपूर्ण मान्य करते हुये अपीलीय कार्यवाही निरस्त की गई एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–1994 स्थिर रखा गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् अपील को पंजीकृत कर उभयपक्ष को सूचना जारी की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 3 उपस्थित भी हो गये हैं, दिनांक 29–2–12 को लिखी आदेशिका में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी विवाद या आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के किसी आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है, जो पूर्णतः अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य थी, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी स्वीकार करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदकगण को अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिकार नहीं था और न ही अपर कलेक्टर को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था, क्योंकि संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपर कलेक्टर के निगरानी सुनने के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं ।

(3) अपर कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी निगरानी स्वीकार कर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29–2–2012 पर अपना कोई अभिमत नहीं होने से यकायक तहसीलदार का आदेश, जिसके संबंध में अभिलेख में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी उनकी पुष्टि करने में विधि की गम्भीर त्रुटि की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण वर्ष 1994 के पूर्व से 14–15 वर्ष पूर्व वर्ष 1981 से प्रश्नाधीन भूमि पर शांतिपूर्ण ढँग से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं ।

(2) नामान्तरण पंजी कमांक 26 व 27 में पारित आदेश दिनांक 6–6–1994 के विरूद्ध आवेदक द्वारा कोई अपील नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है । इसके अतिरिक्त, नामान्तरण पंजी के 18 वर्ष से भी अधिक समय बीतने के पश्चात् नामान्तरण निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, जिसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में यह पुनरीक्षण सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिववक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के जिस अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, उस आदेशिका में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के ऐसा आदेश जो कि संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत

आदेश की परिधि में नहीं आता हो, के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील निरस्त करने में अपर कलेक्टर विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है और अपर कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है, अतः अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक और न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपील का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–08–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी को अपील में गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर